संख्या- 113/2023/1444 /छप्पन-2023-108/1986

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 31 अक्टूबर, 2023

विषय: जनपद झाँसी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास हेतु प्रस्तावित स्थल/ साईट की Pre Feasibility study भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कराए जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा मांगी गई धनराशि/ परामर्श शुल्क/ प्रभार के भुगतान के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 189/आर0सी0एस0-2023-जे-1/2019 दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद झाँसी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास हेतु प्रस्तावित स्थल/ साईट की **Pre Feasibility study** भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कराए जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा मांगी गई धनराशि/ परामर्श शुल्क/ प्रभार रु0 35,40,000/- (रूपए पैंतीस लाख चालीस हज़ार मात्र) के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद झाँसी में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विकास हेतु प्रस्तावित स्थल/ साईट की Pre Feasibility study भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से कराए जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा मांगी गई धनराशि रु0 35,40,000/- (रूपए पैंतीस लाख चालीस हज़ार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा स्वीकृत धनराशि रु0 35,40,000/- को चालू वित्तीय वर्ष **2023-24** में अवमुक्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं :-

1- निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

2- निदेशक नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक नागरिक उड्डयन की होगी।

3- निदेशक नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

4- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

6- निदेशक नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

7- निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- निदेशक नागरिक उड्डयन द्वारा अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान संख्या-38 पूँजी लेखा लेखाशीर्ष "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02 विमानपत्तन-800 अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा भूमि अर्जन 60 भूमि क्रय से वहन की जाएगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: ई-7-251/दस-2023-24, दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहें हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

<u>पृ0सं0: 113 /2023/1444(1)/छप्पन-2023-तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार ई0एस0।।।, आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-।, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
5- अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-110003.
6- जिलाधिकारी, झाँसी।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in